राजस्थान सरकार

वित्त(मार्गोपाय)विभाग

क्रमांक:F.1(22)FWM/2021 जयपुर, दिनांक 20.03.2025

SNA खाताधारक विभाग
समस्त।

विषयः मार्च 2025 के दौरान योजना संचालन पोर्टल से केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के भुगतान संव्यवहारों एवं अंकमिलान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 का अंतिम माह चल रहा है। अतः केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के भुगतान संव्यवहारों तथा योजनान्तर्गत releases व व्यय के अंकमिलान हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश अधीनस्थ क्रियान्वयन एजेन्सियों (IA's) को भी प्रदान कराएंः–

1. सिंगल नोडल बैंक खाते में अर्जित ब्याज राशि (केन्द्रीयांश / राज्यांश) को भारत सरकार व राज्य सरकार के राजकोष में निर्धारित अनुपात में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.01.2023 व 14.03.2024 में विस्तृत प्रक्रिया वर्णित की गई है।
2. अधीनस्थ IAs को SNA में आंवटित लिमिट राशि का उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक या उससे पूर्व किये जाने के संबंध में निर्देशित करें।
3. दिनांक 29, 30 एवं 31 मार्च 2025 को राजकीय अवकाश के दौरान बैंकों द्वारा ई–पेमेन्ट फाईल्स का भुगतान स्वीकार किया जायेगा। अतः उक्त दिवसों को भी योजना संचालन पोर्टल से बिल बनाकर भुगतान किया जा सकेगा।
4. एस.एन.ए. खाताधारक बैंक तथा एन.आई.सी. के अधिकारियों से मिलकर योजना संचालन पोर्टल से किये गये संव्यवहारों के अंक मिलान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
5. योजना संचालन पोर्टल पर प्रदर्शित व्यय एवं release राशि का अंक मिलान पी.एफ.एम.एस. रिपोर्ट से करें तथा अन्तर राशि की सूचना एन.आई.सी. को उपलब्ध कराते हुए Reconciliation की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
6. अधीनस्थ IAs को निर्देश प्रदान कराएं कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवसों में सिस्टम पर कार्यभार की अधिकता के मध्यनजर योजनान्तर्गत लंबित दायित्वों का भुगतान यथासम्भव दिनांक 25.03.2025 से पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें।
7. जिन वेण्डर्स / लाभार्थियों को माह मार्च 2025 के दौरान भुगतान किया जाना है, उन्हें पी.एफ.एम.एस. वेण्डर कोड, अविलम्ब जारी किया जाना सुनिश्चित कराएं ताकि इस कारण भुगतान प्रभावित न हो।
8. अधीनस्थ IAs को निर्देश प्रदान कराएं कि **दिनांक 31.03.2025 को योजना संचालन पोर्टल पर भुगतान फाईल बनाने की सुविधा रात्रि 10:00 बजे तक ही उपलब्ध होगी** अतः तदनुसार कार्यवाही की जावे।

Room No. 5141, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227468 www. finance.rajasthan.gov.inE-mail - dswm@rajasthan.gov.in

9. वेण्डर्स / लाभार्थियों / कार्मिकों को किये गये भुगतानों में से की गई आयकर / जी.एस.टी.–टी.डी.एस. कटौती, तथा राज्य टैक्स से संबंधित कटौतियों को दिनांक 31.03.2025 से पूर्व जमा किया जाकर तथा माह मार्च 2025 में की गई कटौतियों का समायोजन (Settlement) दिनांक 31.03.2025 तक किया जाना सुनिश्चित करें।

10. योजना संचालन पोर्टल पर e-advice अन्तर्गत प्रदर्शित सभी बिलों को दिनांक 31.03.2025 तक प्रोसेस किया जाना सुनिश्चित करें।

11. वेण्डर्स / लाभार्थियों के एजेन्सी स्तर पर लम्बित बिलों को दिनांक 25.03.2025 तक एस.एन.ए. फॉरवर्ड किये जाने के संबंध में क्रियान्वयन एजेन्सियों को आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करें।

12. एस.एन.ए. ई–पेमेन्ट फाईलों का पर्यवेक्षण करते हुए संबंधित बैंक से समन्वय करते हुये भुगतान करवाया जाना सुनिश्चित करें। बैंक स्तर पर पेण्डिंग ई–पेमेंट फाईल की सूचना बैंक को नियमित रूप से ई–मेल द्वारा उपलब्ध कराएं।

13. योजना संचालन पोर्टल से लाभार्थियों / वेण्डर्स के बिलों की संख्या / ई–पेमेन्ट फाईल्स की संख्या को नियंत्रित करने हेतु, क्रियान्वयन एजेन्सियों को एक बिल के अन्दर ही multiple vendors / beneficiaries के बिल बनाये जाने के संबंध में क्रियान्वयन एजेन्सियों को निर्देश प्रदान किये जावे।

भवदीय,

(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट)।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय)।
3. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को संचालन पोर्टल / आई.एफ.एम.एस. पर प्रदर्शित कराए जाने हेतु।
4. परियोजना निदेशक (आईएफएमएस), कोष एवं लेखा, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्पयूटर सैल) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

(पवन जैमन)

संयुक्त शासन सचिव

2/2